पीठः- आर.एन. मित्तल और एम.एम. पुंछी, न्यायाधिपतिगण

डीप स्नेक बार, सोनीपत और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रत्यर्थीगण

सिविल रिट याचिका संख्या 4807 of 1983

20 मार्च, 1984

हरियाणा सिनेमा विनियमन अधिनियम (XI of 1952) — धारा 2(छ) और 3 — पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियम,1952 — पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम (XVI of 1955) — धारा 2(घ) — वीडियो कैसेट रिकॉर्डर — क्या धारा 2(क) के संदर्भ में एक सिनेमेटोग्राफ है — वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के माध्यम से रेस्तरां में प्रदर्शित फिल्में — क्या अधिनियम की धारा 3 और नियमों का उल्लंघन करता है — इस प्रकार फ़िल्म की प्रदर्शनी — क्या मनोरंजन शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मनोरंजन की परिभाषा में आती है जैसा कि धारा 2(घ) में परिभाषित किया गया है।

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा सिनेमा विनियमन अधिनियम,1952 की धारा 2(क) में "सिनेमेटोग्राफ़" शब्द की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि कोई भी उपकरण या मशीनरी जिसके द्वारा चल- चित्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसे सिनेमेटोग्राफ कहा जा सकता है। परिभाषा फिल्म की बात नहीं करती है और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधित्व एक फिल्म से होना चाहिए। यह

कैसेट सहित किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्रोजेक्टर की तरह वी.सी.आर. का उपयोग भी चलचित्र के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है, हालांकि दोनों में प्रतिनिधित्व के लिए तकनीक अलग-अलग है। हालांकि, यह परिभाषा उस तकनीक को ध्यान में नहीं रखती है जिसके द्वारा चल- चित्रों को दर्शाया जाता है। इसलिए, परिभाषा में उपकरण शब्द के अर्थ को एक प्रोजेक्टर तक सीमित करने का कोई कारण नहीं है जिसके द्वारा एक फिल्म प्रदर्शित की जाती है। इसलिए, वी.सी.आर. "सिनेमेटोग्राफ" शब्द की परिभाषा में शामिल है।

(जिम्मन 8)

अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा सिनेमा विनियमन अधिनियम की धारा 3 के पठन से यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सिनेमेटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शनी नहीं देगा। इस संदर्भ में "प्रदर्शनी" शब्द का अर्थ है सार्वजनिक स्थान पर लाभ के लिए फिल्म का प्रदर्शन। यदि ग्राहकों के लाभ के लिए किसी रेस्तरां में कोई फिल्म दिखाई जाती है, तो वह प्रदर्शनी देने के बराबर होगी। इसका कारण यह है कि मालिक लाभ के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है और कोई भी ग्राहक फिल्म का आनंद लेने का हकदार है। हालांकि, अगर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या दोस्तों के लाभ के लिए एक आवासीय घर में एक फिल्म दिखाई जाती है, तो यह प्रदर्शनी देने के बराबर नहीं होगा। सिनेमाघरों के लिए लाइसेंस देते समय, पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियम, 1952 जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। नियम में प्रावधान है कि इमारत पूजा स्थलों, अस्पतालों, घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों, अनाथालयों, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों जैसे कॉलेजों, हाई स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े आवासीय संस्थानों से एक विशेष दूरी के भीतर नहीं होनी चाहिए। यह स्पष्ट है कि लाइसेंस देने में छात्रों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि ऐसे लघु सिनेमाघरों को शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति दी जाती है, तो छात्र समुदाय को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए, ग्राहकों के मनोरंजन के लिए रेस्तरां में

वी.सी.आर. और टी.वी. सेट का उपयोग करके मालिकों ने हरियाणा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो उन्हें धारा 7 के अन्तर्गत जुर्माना अदा करने के लिए उत्तरदायी बनता है।

(जिम्मन 10)

अभिनिर्धारित किया गया कि ग्राहकों से शुल्क प्राप्त करके उनके मनोरंजन के लिए फ़िल्मों की प्रदर्शनी पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम,1955 की धारा 2(घ) के अन्तर्गत 'मनोरंजन' के समान है।

(जिम्मन 18)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि:-

(i) उत्प्रेषण-लेख की प्रकृति में एक रिट जारी कर प्रत्यर्थी संख्या 2 का आदेश, जो इस रिट याचिका के साथ अनुलग्नक के रूप में लगाया गया है, उसे आपात किया जाये;

(ii) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी कर प्रत्यर्थीगण को यह निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को वीडियो कैसेट की प्रदर्शनी से ना रोके;

(iii) अन्य कोई रिट, आदेश या बर्डएसएच जो यह मान न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे;

(iv) अनुलग्नक पी-1 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने से छूट;

(v) प्रत्यर्थीगण पर पूर्व नोटिस की तामील से छूट;

(vi) इस याचिका का खर्चा याचिकाकर्ता को दिलवाया जाए।

साथ ही यह भी प्रार्थना की गई कि इस रिट याचिका के लंबित रहते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश अनुलग्नक पी-1 के प्रभाव पर रोक लगा दी जाये।

उपस्थित:-

अधिवक्ता श्री एच.एस. हूड़ा, याचिकाकर्ता की ओर से।

हर भगवान सिंह, महा-अधिवक्ता हरियाणा और बी.एस. पाँवर, उप महा-अधिवक्ता हरियाणा, प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

आर.एन. मित्तल,न्यायाधिपति

(1) यह निर्णय सिरसा जिले से संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 4666, 4914, 5006, 5110, 5122, 5148, 5182, 5190, 5291 और 5292 of 1983, सोनीपत जिले से संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 4807 से 4809 और 4924 of 1983, जींद जिले से संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 4828 of 1983 और कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 5075 of 1983 का निस्तारण करेगा, जिसमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। फैसले में तथ्य सिविल रिट याचिका संख्या 4807 of 1983 में से लिए जा रहे हैं।

(2) याचिकाकर्ता सोनीपत जिले में रेस्तरां, स्नैक्स बार और सॉफ्ट ड्रिंक कॉर्नर चला रहे हैं। उन्होंने अपने व्यावसायिक परिसर में वी.सी.आर. स्थापित किया हुआ है। यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपने ग्राहकों से सेवा शुल्क प्राप्त कर उनको मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं जो एक सहायक उद्देश्य है। वी.सी.आर. भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत लाइसेंसड हैं।

(3) जिला मजिस्ट्रेट, सोनीपत, प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा हरियाणा सिनेमा विनियमन अधिनियम, 1952 (जिसे इसके पश्चात् हरियाणा अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) के अधीन कथित रूप से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक सामान्य आदेश दिनांकित 3 अक्टूबर, 1983 जारी किया गया (प्रतिलिपि अनुलग्नक पी-1) जिसमें सोनीपत जिले में उस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त

स्थानों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर वीडियो सेटों के माध्यम से सिनेमाटोग्राफ की प्रदर्शनी पर प्रतिबंध लगाया गया। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया कि इसके संबंध में किसी भी उल्लंघन पर धारा 7 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 3 अक्टूबर, 1983 को, सोनीपत शहर में एक मुनादी की गई थी और यह घोषणा की गई थी कि कोई भी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट, सोनीपत से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी वीडियो फिल्म ना तो दिखाएगा और ना ही प्रदर्शित करेगा। मुनादी के बाद स्थानीय पुलिस याचिकाकर्ताओं के स्थानों पर आई और उन्हें आदेश अनुलग्नक पी-1 दिया। इस आदेश को याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी है।

(4) प्रत्यर्थीगण ने रिट याचिका का विरोध किया है और अभिकथित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, सोनीपत का हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी किया जाना उचित था।

(5) निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या रेस्तरां, आदि में ग्राहकों के मनोरंजन के लिए वी.सी.आर. और टी.वी. सेट का उपयोग करके, मालिक हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

(6) प्रश्न को निर्धारित करने के लिए, उन उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख करना प्रासंगिक है जिनके लिए हरियाणा अधिनियम अधिनियमित किया गया था। हरियाणा अधिनियम से पहले, सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1918 (एक केंद्रीय अधिनियम) राज्य में लागू था। यह दो अलग-अलग मामलों से संबंधित था, पहला, सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त फिल्मों की जांच और प्रमाणन, और दूसरा, लाइसेंस सहित सिनेमाघरों का विनियमन। भारत के संविधान की घोषणा के बाद, प्रदर्शनी के लिए सिनेमाटोग्राफ फिल्मों की मंजूरी से संबंधित मामलों को सातवीं अनुसूची की सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या 60 में शामिल किया गया था और सिनेमा से संबंधित मामलों को सूची I की प्रविष्टि संख्या 60 के प्रावधानों के अधीन सूची II (राज्य-सूची) की प्रविष्टि संख्या 33 में रखा गया था। 1918 के अधिनियम की कुछ धाराएँ केंद्र सरकार से संबंधित थीं, कुछ राज्य सरकारों से और कुछ केंद्र और राज्य

दोनों सरकारों से संबंधित थीं। हालाँकि, उक्त प्रावधानों का कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं था जिसके परिणामस्वरूप इसे प्रशासित करने में कठिनाई का अनुभव किया गया था। इसलिए, उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया गया और भारत सरकार द्वारा सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 (जिसे इसके बाद केंद्रीय अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) अधिनियमित किया गया था जिसमें संघ सूची और राज्य सूची से संबंधित प्रावधानों को अलग किया गया था। केंद्रीय अधिनियम के चार भाग हैं; भाग। प्रारंभिक मामलों से संबंधित है, भाग II सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित है, भाग III सिनेमेटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शनी के विनियमन से संबंधित है और भाग IV निरसन से संबंधित है। केन्द्रीय अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (2) में यह उपबंध किया गया है कि भाग I, II और IV का विस्तार सम्पूर्ण भारत के लिए है और भाग III केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। केन्द्रीय अधिनियम 28 जुलाई, 1952 को लागू किया गया था। भारत सरकार ने राज्यों को सुझाव दिया कि उन्हें उक्त अधिनियम के भाग III की तर्ज पर कानून बनाना चाहिए। उक्त सुझाव के अनुसरण में, पंजाब राज्य, जो उस समय मौजूद था, ने पंजाब सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 लागू किया। पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद, यह अधिनियम हरियाणा राज्य में लागू हो गया। हरियाणा राज्य द्वारा अपनाए जाने के बाद, इसे अब हरियाणा सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 कहा जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हरियाणा अधिनियम और केंद्रीय अधिनियम विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं। पहला सिनेमाटोग्राफ प्रदर्शनियों के लाइसेंस से संबंधित है और दूसरा सार्वजनिक प्रदर्शनियों के लिए फिल्मों के प्रमाणन से संबंधित है। अब याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को संदर्भित करना उचित है।

(7) श्री हुड्डा दृढ़ता से तर्क देते हैं कि हरियाणा अधिनियम उस परिसर के लाइसेंस के संदर्भ में है जहां एक प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्मों की प्रदर्शनी की जाती है। सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948 के अनुसार, एक फिल्म का अर्थ है एक चलचित्र या ध्वनि रिकॉर्डिंग फिल्म जिसमें नाइट्रो-सेल्यूलोज आधार हो। वी.सी.आर. में, कैसेट के रूप में जानी जाने वाली एक चुंबकीय टेप का उपयोग प्रदर्शनी के

उद्देश्य के लिए किया जाता है जिसमें नाइट्रो-सेल्यूलोज बेस नहीं होता है। कैसेट को मिटाया जा सकता है और पुनः उपयोग किया जा सकता है जबकि एक फिल्म का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में, एक कैसेट को एक फिल्म के और वी.सी.आर. को एक प्रोजेक्टर के बराबर नहीं माना जा सकता है। वह आग्रह करते हैं कि इसलिए प्रोजेक्टर एक सिनेमेटोग्राफ है परन्तु एक वी.सी.आर. नहीं है।

(8) हमने तर्क पर विधिवत विचार किया है लेकिन इसे स्वीकार करने में अपनी असमर्थता पर खेद है। "फिल्म" शब्द को हरियाणा अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे केंद्रीय अधिनियम में परिभाषित किया गया है। हालाँकि, हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, केंद्रीय अधिनियम से इसकी परिभाषा को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। धारा 2 के खंड (क) में "सिनेमेटोग्राफ" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया हैः-

"(क) "सिनेमेटोग्राफ" में गतिशील चित्रों या चित्रों की श्रृंखला के प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी उपकरण शामिल है;"

सिनेमेटोग्राफ शब्द की परिभाषा को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि यह एक समावेशी परिभाषा है न कि एक संपूर्ण परिभाषा। यह आगे स्पष्ट है कि कोई भी उपकरण या मशीनरी जिसके द्वारा चलचित्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसे सिनेमेटोग्राफ कहा जा सकता है। परिभाषा फिल्म की बात नहीं करती है और इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिधित्व एक फिल्म से होना चाहिए। यह कैसेट सहित किसी भी चीज़ से हो सकता है। प्रोजेक्टर की तरह वी.सी.आर. का उपयोग भी चलचित्र के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है, हालांकि दोनों में प्रतिनिधित्व के लिए तकनीक अलग-अलग है। हालांकि, यह परिभाषा उस तकनीक को ध्यान में नहीं रखती है जिसके द्वारा चल- चित्रों को दर्शाया जाता है। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में, विधायिका को यह जानने के लिए माना जाता है कि परिभाषा को विस्तारित अर्थ दिया जा सकता है। इसलिए, परिभाषा में उपकरण शब्द के अर्थ को एक प्रोजेक्टर तक

सीमित करने का कोई कारण नहीं है जिसके द्वारा एक फिल्म प्रदर्शित की जाती है। नतीजतन, हमारी राय है कि वी.सी.आर."सिनेमेटोग्राफ" शब्द की परिभाषा में शामिल है। भले ही केंद्रीय अधिनियम में दी गई "फिल्म" शब्द की परिभाषा को ध्यान में रखा जाए, लेकिन परिणाम अलग नहीं होगा। उस अधिनियम में इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है, "फिल्म का अर्थ है एक सिनेमेटोग्राफ फिल्म" परिभाषा से, यह स्पष्ट है कि सिनेमाटोग्राफ के माध्यम से जो भी सामग्री से चलती चित्रों का प्रतिनिधित्व किया जाता है, वह एक फिल्म होगी। यदि परिभाषा को उस संदर्भ में माना जाता है, तो इसमें वी.सी.आर. की सहायता से चलती तस्वीरों को पेश करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कैसेट शामिल होगा। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948 में दी गई "फिल्म" शब्द की परिभाषा का भी उल्लेख किया है। इन नियमों को पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के तहत नाइट्रो-सेल्यूलोज आधार वाली फिल्मों के भंडारण और परिवहन के दौरान आग या विस्फोट से दुर्घटना को रोकने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। हमारे विचार में, उक्त नियमों में "फिल्म" शब्द की परिभाषा "सिनेमेटोग्राफ" शब्द की व्याख्या करने में कोई सहायता नहीं करती है।

(9) मामला विवादित नहीं है। इसी तरह के मामलों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और बंबई उच्च न्यायालय द्वारा रेस्तरां ली और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य[1] और दिनेशकुमार हनुमानप्रसाद तिवारी बनाम महाराष्ट्र राज्य[2] में क्रमशः निपटाया गया था। पहले मामले में, एक खंडपीठ एम.पी. सिनेमा (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या कर रही थी, जिसमें "सिनेमेटोग्राफ" शब्द की परिभाषा हरियाणा अधिनियम की तरह ही है। निम्नलिखित टिप्पणियों को 'लाभ' के साथ पढ़ा जा सकता हैः

"…..हम पहले ही देख चुके हैं कि इस अधिनियम की धारा 2(क) में चल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला के प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी उपकरण को शामिल करने के लिए "सिनेमेटोग्राफ" को परिभाषित

[1] A.I.R. 1983 M.P. 146
[2] A.I.R. 1984 Bombay 34

किया गया है। परिभाषा के संदर्भ में व्यापक है। यह आम तौर पर फोटोग्राफिक फिल्में दिखाने के लिए सिनेमाघरों में उपयोग किए जाने वाले प्रोजेक्टरों तक सीमित नहीं है। चल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला के प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी उपकरण को शामिल करने के लिए समावेशी परिभाषा काफी सामान्य और व्यापक है। अब जब एक वी.सी.आर. का उपयोग टी.वी. स्क्रीन पर पहले से रिकॉर्ड किए गए कैसेट को चलाने के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग निश्चित रूप से चल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला के प्रतिनिधित्व के लिए एक उपकरण के रूप में किया जाता है और यह "सिनेमेटोग्राफ" की परिभाषा के भीतर आता है।"

इस मामले का अनुसरण बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिनेशकुमार हनुमानप्रसाद तिवारी (उपर्युक्त) के मामले में किया गया था, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति बॉम्बे सिनेमा (विनियम) अधिनियम, 1953 की व्याख्या कर रहे थे। यह देखा गया कि "हम यह नहीं भूल सकते कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं। यह सच है कि व्याख्या का मूल नियम वही है जो विधानमंडल का आशय है। लेकिन एक तेजी से विकासशील समाज में, विधानमंडल के आशय को अधिनियमन के समय उपयोग किए गए शब्द के अर्थ तक सीमित रखना सही नहीं होगा। वैज्ञानिक युग में, यह अवधारणा ली जानी चाहिए कि विधानमंडल को इस शब्द के एक विस्तृत अर्थ के बारे में पता होगा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ आकर्षित हो सकता है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि "सिनेमेटोग्राफ" की परिभाषा में उपयोग किए जाने वाले शब्द "उपकरण" को सीमित अर्थ क्यों दिया जाए ताकि इसका अर्थ केवल एक शीट या सेल्युलॉइड का रिबन या सामान्य तस्वीरों के लिए कोटिंग के साथ तैयार किया जाने वाला। दूसरी ओर, कोई भी उपकरण, जब तक कि यह चल चित्रों या चित्रों की श्रृंखला के प्रतिनिधित्व के लिए उपयोग करने में सक्षम है, भले ही इसका उपयोग चुंबकीय टेप की सहायता से किया गया हो, अधिनियम के तहत परिभाषित "सिनेमेटोग्राफ" शब्द के अर्थ के भीतर एक उपकरण होगा। इसके बाद यह देखा जाता है कि "सिनेमेटोग्राफ" की परिभाषा को समझदारी से व्यापक शब्दों में जोड़ा गया है और "सिनेमेटोग्राफ" की परिभाषा में दिए गए विवरण का उत्तर देने वाले किसी भी उपकरण को

सिनेमेटोग्राफ के रूप में रखा जाना चाहिए और कोई भी स्थान जहां सिनेमेटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शनी दी जाती है, वह सिनेमा की शरारत के दायरे में आना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने सिनेमेटोग्राफ नियम, 1948 के नियम 3(छ) में दी गई "फिल्म" शब्द की परिभाषा पर भी विचार किया। परिभाषा को देखने के बाद, यह माना गया कि यह मानना उचित नहीं होगा कि सिनेमेटोग्राफ फिल्मों का अर्थ उसी तरह से लगाया जाना चाहिए जैसा कि सिनेमेटोग्राफ फिल्म नियम, 1948 के नियम 3(छ) के तहत परिभाषित किया गया है। हम उपर्युक्त टिप्पणियों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

(10) अब, यह देखा जाना है कि क्या रेस्तरां में फिल्म की प्रदर्शनी के लिए वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के उपयोग से हरियाणा अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है। हरियाणा अधिनियम की धारा 3 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, कोई भी व्यक्ति अधिनियम के तहत लाइसेंस प्राप्त स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर सिनेमेटोग्राफ के माध्यम से प्रदर्शनी नहीं देगा। धारा 3 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान धारा 7 में किया गया है। केंद्रीय और हरियाणा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा करना है। इस संदर्भ में "प्रदर्शनी" शब्द का अर्थ है सार्वजनिक स्थान पर लाभ के लिए फिल्म का प्रदर्शन। यदि ग्राहकों के लाभ के लिए किसी रेस्तरां में कोई फिल्म दिखाई जाती है, तो वह प्रदर्शनी देने के बराबर होगी। इसका कारण यह है कि मालिक लाभ के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है और कोई भी ग्राहक फिल्म का आनंद लेने का हकदार है। हालांकि, अगर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या दोस्तों के लाभ के लिए एक आवासीय घर में एक फिल्म दिखाई जाती है, तो यह प्रदर्शनी देने के बराबर नहीं होगा। सिनेमाघरों के लिए लाइसेंस देते समय, पंजाब सिनेमा (विनियमन) नियम, 1952 जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता आदि को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, के प्रावधानों का पालन किया जाना आवश्यक है। नियम में प्रावधान है कि इमारत पूजा स्थलों, अस्पतालों, घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों, अनाथालयों, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों जैसे कॉलेजों, हाई स्कूलों, शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े आवासीय संस्थानों से एक विशेष दूरी के भीतर नहीं होनी चाहिए। यह

स्पष्ट है कि लाइसेंस देने में छात्रों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि ऐसे मिनी सिनेमाघरों को शैक्षणिक संस्थानों के आसपास के क्षेत्र में संचालित करने की अनुमति दी जाती है, तो छात्र समुदाय को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि ग्राहकों के मनोरंजन के लिए रेस्तरां में वी.सी.आर. और टी.वी. सेट का उपयोग करके मालिकों ने हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। हमने जो दृष्टिकोण लिया है, उसका समर्थन रेस्तरां ली के मामले और दिनेश कुमार हनुमान-प्रसाद तिवारी के मामले से मिलता है।

(11) उस स्थिति का सामना करते हुए, श्री हुड्डा ने तर्क दिया कि वी.सी.आर. और टी.वी. सेट को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत लाइसेंस प्राप्त हैं और याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के तहत लाइसेंस प्राप्त किए हैं। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि उनके पास अपने ग्राहकों के लाभ के लिए रेस्तरां में चित्रों को प्रदर्शित करने का अधिकार है।

हम विद्वान वकील के तर्क से प्रभावित नहीं हैं। यह सच है कि याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिनियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त किए हैं। परन्तु, लाइसेंसों में उल्लिखित कुछ शर्तों के तहत लाइसेंस जारी किए गए हैं। शर्तें 1 और 13 प्रासंगिक हैं, जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

1. लाइसेंस व्यावसायिक परिसरों, सार्वजनिक स्थानों, आवासीय और व्यावसायिक मंचों के लिए संयुक्त रूप से उपयोग किए जाने वाले कमरों में या लाभ के लिए, या यात्रियों के लाभ के लिए, या सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों में या रेलवे में सामान्य स्वागत के लिए प्रेषित कार्यक्रमों और संदेशों को प्राप्त करने हेतु विज्ञापन के लिए वर्णित वायरलेस प्राप्त करने वाले उपकरण के उपयोग की अनुमति देता है।

13. यह लाइसेंस लाइसेंसधारक को ऐसा कोई कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं करता है जो:-

(क) लाइसेंस प्राप्त उपकरण के माध्यम से प्राप्त मामले में मौजूद किसी भी प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो सकता है, या

(ख) जिस क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त उपकरण स्थापित है, उस क्षेत्र में संगीत या अन्य प्रदर्शन या शोर को विनियमित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम के विपरीत है ।

शर्त 1 के पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि वायरलेस प्राप्त करने वाले उपकरण का उपयोग उसमें उल्लिखित स्थानों पर सामान्य स्वागत के लिए प्रेषित कार्यक्रमों और संदेशों को प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, न कि अन्य कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए। इसका अभिप्राय यह है कि इनका उपयोग वी.सी.आर. के माध्यम से फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। शर्त 13(ख) लाइसेंसधारी को ऐसा कोई कार्य करने से मना करती है जो जिस क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त उपकरण स्थापित किया गया हो, उस क्षेत्र में संगीत या अन्य प्रदर्शन या शोर को विनियमित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के विपरीत हो। यह इस शर्त से स्पष्ट है कि लाइसेंसधारक को इस तथ्य के बावजूद कि उसने एक वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है, वी.सी.आर. और टी.वी. सेट की सहायता से चल-चित्रों की प्रदर्शनी के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग को विनियमित करने वाले अन्य क़ानूनों का पालन करना होगा। इसलिए वह हरियाणा अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है, जब वह एक रेस्तरां में वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के माध्यम से चल-चित्रों को प्रदर्शित करता है। हम रेस्तरां ली (उपर्युक्त) के मामले में की गई टिप्पणियों द्वारा इस दृष्टिकोण में दृढ़ हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वाणिज्यिक लाइसेंस केवल सामान्य प्राप्ति के लिए प्रेषित व्यावसायिक परिसरों में वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के उपयोग की अनुमति देता है। लाइसेंस फिल्मों के पहले से रिकॉर्ड किए गए कैसेट को चलाने के लिए वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के उपयोग की अनुमति नहीं देता है।

(12) श्री हुड्डा ने अटार्नी जनरल बनाम वितग्राफ कंपनी लिमिटेड[3] के मामले का संदर्भ दिया, जिसमें यह पाया गया कि डीलरों या उनके एजेंटों द्वारा केवल इच्छुक खरीदारों या किराएदारों को स्क्रीन पर फिल्में दिखाना, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1909 के अर्थ के भीतर प्रदर्शन करने के बराबर नहीं है। उस मामले के तथ्य यह थे कि प्रतिवादी एक अमेरिकी कंपनी द्वारा निर्मित सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की बिक्री या पट्टे पर देने के एजेंट थे। उन्होंने एक कमरे में फिल्मों के प्रदर्शन के लिए एक उपकरण लगाया था। उन्होंने एक व्यापार पत्र में विज्ञापन दिया कि इच्छुक ख़रीदार या किराए पर लेने वाले उस कमरे में फिल्में देख सकते हैं। उन्होंने उन अवसरों पर जनता को फिल्में देखने के लिए आमंत्रित नहीं किया था। उपर्युक्त अवलोकन उक्त परिस्थितियों में किए गए थे। हालांकि, वर्तमान मामले में परिस्थितियां अलग हैं। यहां वे सभी व्यक्ति जो खाने के सामान और याचिकाकर्ताओं को कुछ अतिरिक्त शुल्क देने के लिए तैयार हैं, वे फिल्मों का आनंद ले सकते हैं। रेस्तरां का व्यवसाय वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं है। दूसरी ओर, इनका उपयोग ग्राहकों को आकर्षित करने और उनका मनोरंजन करने के उद्देश्य से किया जाता है। उस मामले में, प्रतिवादियों के लिए फिल्मों की प्रदर्शनी के बिना व्यवसाय करना संभव नहीं था। इसलिए हमारा विचार है कि उपर्युक्त टिप्पणियां एक अलग संदर्भ में की गई थीं और वर्तमान मामले को तय करने में उनकी कोई सहायता नहीं है।

(13) आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-1 प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित किया गया है, जो हरियाणा अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकरण है, आम जनता के ध्यान में लाते हुए कि अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त स्थान के अतिरिक्त स्थान पर वीडियो सेटों के माध्यम से सिनेमेटोग्राफ की प्रदर्शनी हरियाणा अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है और यदि कोई व्यक्ति ऐसी प्रदर्शनी करता है, तो उससे धारा 7 के अधीन व्यवहार किया जाएगा। इस आदेश से स्पष्ट है कि यह आम जनता और विशेष रूप से वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के उपयोगकर्ताओं के लिए एक सूचना है कि यदि कोई धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उस पर धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया

[3] 1915(1) Chancery Div 206

जाएगा। यह सच है कि हरियाणा अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत जिला मजिस्ट्रेट इस तरह का आदेश जारी कर सके। चाहे जो भी हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर धारा 7 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व, यह उसके संज्ञान में लाया जाता है कि यदि वह आगे उल्लंघन करता है, तो उससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा, ऐसी कार्रवाई में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है। इसलिए आदेश को रद्द करने का कोई आधार नहीं है।

(14) उपर्युक्त कारणों से, हम रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

(15) सिरसा जिले से संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 4666, 4914, 5006, 5110, 5122, 5148, 5182, 5190, 5191, 5192 of 1983 और सोनीपत जिले से संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 4808,4809 और 4924 of 1983 में कोई अतिरिक्त तर्क नहीं दिया गया है। जींद जिले से संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या 4828 of 1983 में ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के माध्यम से फिल्मों को प्रदर्शित करने की स्थिति में प्रत्यर्थी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। उपर्युक्त अवलोकन इस मामले में भी पूरी तरह से लागू होते हैं। नतीजतन, इन याचिकाओं में भी कोई योग्यता नहीं है।

(16) सिविल रिट याचिका संख्या 5075 of 1983 में संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता शाहबाद, मार्कंडा, जिला कुरुक्षेत्र में रेस्तरां का व्यवसाय कर रहा है। इसने अपने ग्राहकों से सेवा शुल्क प्राप्त करने पर उनके मनोरंजन के लिए फ़िल्मों की प्रदर्शनी के लिए एक वी.सी.आर. स्थापित किया है। यह कहा जाता है कि सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी (प्रत्यर्थी संख्या 3) 3 अक्टूबर, 1983 को याचिकाकर्ता के परिसर में आया और उसे मनोरंजन शुल्क के भुगतान के लिए पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम के साथ सिनेमाोग्राफ अधिनियम के तहत प्रतिभूति प्रदान करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता ने उनके द्वारा माँगी गए प्रतिभूति के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि अगर वह वीडियो फिल्म प्रदर्शित करता है तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश से व्यथित महसूस कर, याचिकाकर्ता ने 10 अक्टूबर, 1983 को जिला आबकारी और कराधान अधिकारी, थानेसर के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता के आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया। याचिकाकर्ता ने 24 अक्टूबर, 1983 को उपायुक्त से भी वी.सी.आर. पर फिल्में प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया। नतीजतन, याचिकाकर्ता द्वारा उचित राहत के लिए रिट याचिका दायर की गई है।

(17) रिट याचिका को प्रत्यर्थीगण द्वारा चुनौती दी गई है। लिखित जवाब में, यह कहा गया है कि सहायक आबकारी और कराधान अधिकारी, शाहबाद ने याचिकाकर्ता के परिसर का निरीक्षण किया और पाया कि सत्तर लोग शो का आनंद ले रहे थे। कुछ लोग खड़े थे और कुछ फर्श पर बैठे थे। वहाँ चाय या खाने का सामान नहीं परोसा जा रहा था। याचिकाकर्ता के मालिक का बयान उसके द्वारा दर्ज किया गया था जिसमें उसने स्वीकार किया था कि वह फिल्म 'बेताब' के प्रदर्शन के लिए 5 रुपये प्रति व्यक्ति ले रहा था। चूंकि ऐसे शो पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत मनोरंजन शुल्क के लिए उत्तरदायी थे, इसलिए उन्होंने मालिक को राजस्व के हितों की रक्षा के लिए अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित प्रतिभूति के रूप में 1,000 रुपये जमा करने के लिए कहा। यह कहा जाता है कि इस स्थिति में चलचित्रों का प्रदर्शन, उक्त अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित मनोरंजन के बराबर है। मनोरंजन में भर्ती व्यक्ति निर्धारित मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है और जो व्यक्ति अपने ग्राहकों के मनोरंजन के लिए फिल्में दिखाता है, उसे मनोरंजन शुल्क का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, यह दलील दी जाती है कि याचिकाकर्ता ने उक्त प्रावधानों और उक्त अधिनियम के कुछ अन्य प्रावधानों का भी पालन नहीं किया।

(18) इस याचिका में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के माध्यम से एक रेस्तरां में चल-चित्र की प्रदर्शनी पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1955 की धारा 2(घ) में परिभाषित "मनोरंजन" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है। याचिकाकर्ता के विद्वान आधिवक्ता ने बहुत निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि यह प्रश्न अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मैसर्स गीता एंटरप्राइजेज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (4) के अन्तर्निहित है। इसमें यह पाया गया था कि उत्तर प्रदेश मनोरंजन और सट्टेबाजी कर अधिनियम, 1937 की धारा 2(3) में "मनोरंजन" शब्द का उपयोग बहुत व्यापक अर्थों में किया गया है, ताकि इसके दायरे में किसी भी प्रकार के मनोरंजन को शामिल किया जा सके, जिसमें वह भी शामिल है जो विशुद्ध रूप से शिक्षाप्रद हो सकता है। उप-धारा (3) ने स्वयं "मनोरंजन" शब्द का उपयोग "किसी प्रदर्शनी, प्रदर्शन, मनोरंजन, खेल या खेल के रूप में किया है जिसमें व्यक्तियों को भुगतान के लिए प्रवेश दिया जाता है" ने किसी भी प्रकार के मनोरंजन, खेल या खेल-कूद को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए मनोरंजन का दायरा बढ़ाया है। वीडियो को संचालित करके, वीडियो का संचालक गेम, खेल और अन्य प्रकार के प्रदर्शन को खेलने के लिए 50 पैसे प्रति 30 सेकंड का भुगतान करता है जो मशीन पर दिखाए जाते हैं और जिन्हें इच्छुक दर्शक देख सकते हैं। यह भी देखा गया है कि इसलिए ऐसी प्रदर्शनी "मनोरंजन" शब्द के दायरे में आती है जैसा कि उप-धारा(3) में परिकल्पित है। पंजाब मनोरंजन शुल्क अधिनियम में दी गई "मनोरंजन" शब्द की परिभाषा उत्तर प्रदेश अधिनियम में दी गई परिभाषा के समान है, जिसकी व्याख्या उपर्युक्त मामले में की गई थी। नतीजतन, हमारी राय है कि वी.सी.आर. और टी.वी. सेट के माध्यम से एक रेस्तरां में चल-चित्र की प्रदर्शनी उपर्युक्त अधिनियम में दी गई "मनोरंजन" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

(19) उपर्युक्त कारणों से, सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है, परन्तु ख़र्चे के संबंध में बिना किसी भी आदेश के।

एम.एम. पुंछी, न्यायाधिपति - मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण:

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋषभ अग्रवाल, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाड, UID No:- HR0675